

**न्याय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारा (राज.)**

पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
11/22	188 RTA	निपतातिया	६०३१
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
धनपाल	बनाम	गुलाब	

वकील :- इमराज शर्मा एडवो.

**आदेश पत्रक**

वकील :-


दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
14 <sup>2</sup> / <sub>22</sub>	<p>अभिभाषक प्रार्थी द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर टी एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी गण के इस न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा प्रतिवादी गणों को जर्ये सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 04/04/22 को पेश हो।</p> <p align="right"><i>SM</i></p>	
04 <sup>04</sup> / <sub>22</sub>	<p>आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 23/5/22 को पेश हो।</p> <p align="center"><i>CP</i> रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा),</p>	
5 <sup>5</sup> / <sub>22</sub>	<p>आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 11/7/22 को पेश हो।</p> <p align="center"><i>CP</i> रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा),</p>	
11 <sup>7</sup> / <sub>22</sub>	<p>आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 22/8/22 को पेश हो।</p> <p align="center"><i>CP</i> रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा),</p>	
22 <sup>8</sup> / <sub>22</sub>	<p>आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 27/9/22 को पेश हो।</p> <p align="center"><i>CP</i> रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा),</p>	

कार्यवाही एवं आदेश

दिनांक


18-9-24

आज पीठारीन अधिकारी के <sup>(अन्य कार्य में)</sup> व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक ... 4.11.24 ... को पेश हो।

  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा (बारा)

4-11-24

आज पीठारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक ... 16.12.24 ... को पेश हो।

  
रीडर  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा (बारा)

16.12.24

पत्रावली पेश हुई। वकील वारी उपर/ प्रतिवादी गण की तलबी हेतु तलवाना पेश नहीं किया है। तलबी हेतु कई अवसर दिए गये हैं। प्रकरण तलवाना के अभाव में आदेश 9 दिनांक 5 CPC अन्तर्गत खारिज किया जाता है। पत्रावली पेशाले शुभार होकर साखिल सप्तर हो।

